



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938

No. 869]

NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

सं. 04/2016-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि.1157(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष) नियमावली, 2006 के नियम 9 के अनुसार केन्द्र सरकार एतद्वारा वार्षिक रिपोर्ट को अधिसूचित करती है जिसमें निम्न लेखा विवरण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान धारा 7क की उप-धारा (2) के अंतर्गत इस कोष से वित्तपोषित क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है :-

क. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निधि की धारा 7क की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्तपोषित गतिविधियां

क्र.सं./ आवेदन सं.	स्वीकृति आदेश सं. तथा दिनांक	संगठन का नाम/ समर्थित गतिविधि	स्वीकृति धनराशि (रु.)	प्रदान की गई राशि (रु.)
1/74	स्वी. आ. सं. 21 दिनांक 25.02.2016	हिमाचल प्रदेश में गांजे की समस्याओं से निपटने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर नारकोटिक्स इस्टडीज एंड एनालाइसेस, नई दिल्ली	5,00,000/- दो किस्तों में	4,00,000/- (प्रथम किस्त)
2/78	स्वी. आ. सं. 22 दिनांक 18.03.2016	फसल वर्ष 2015-16 हेतु अवैध पोस्त की खेती की पहचान करने तथा उसे नष्ट करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली	39,86,950/-	39,86,950/-
वर्ष के दौरान जारी की गई कुल धनराशि..... 43,86,950 रुपये				

ख. वर्ष 2015-16 की प्राप्ति और संवितरण के संबंध में एनएफसीडीए मुख्य शीर्ष 8121.00.118.01 – सामान्य और आरक्षित फंड के संबंध में लेखा विवरण

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियां				कुल प्राप्तियां	संवितरण	अंतशेष
		[केन्द्र सरकार बजट प्रावधान]	[अध्याय V क के अंतर्गत जब्त की गई किसी सम्पत्ति का बिक्री आगम]	[किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई अनुदान]	[उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत इस कोष में जमा धनराशि के निवेश से प्राप्त कोई आय]			
		मुख्य शीर्ष : 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं; लघु शीर्ष : 797- आरक्षित/ जमा खाते में अंतरण; उपशीर्ष : 01- राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष में अंतरण अन्य शीर्ष : 63- अंतर्लेखीय अंतरण	मुख्य शीर्ष : 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं; उप प्रमुख शीर्ष : 60- अन्य सेवाएं लघु शीर्ष : 800- अन्य प्राप्तियां; नया उपशीर्ष : 07- इस अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत किसी सम्पत्ति के बदले में दण्ड से हुई प्राप्ति	मुख्य शीर्ष : 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष, लघु शीर्ष- 118- राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष पर ब्याज; नया उपशीर्ष : 03- भारत सरकार द्वारा ब्याज भुगतान से हुई प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष : 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष, लघु शीर्ष- 118- राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष पर ब्याज; नया उपशीर्ष : 03- भारत सरकार द्वारा ब्याज भुगतान से हुई प्राप्तियां			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (3+4+5+6)	(8)	(9) (2+7+8)
2015-16	193679944/-	0	35539422/-	0	1,52,81,348/-	5,08,20,770/-	43,86,950/-	24,01,13,764/-

[फा. सं. एन-21014/01/2014-एनसी-1]

टी. के. सत्पथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2016

No. 04/2016-Narcotics Control-1

G.S.R. 1157(E).—In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund For Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial year 2015-16 together with Statement of Accounts as under:--

A. ACTIVITIES FINANCED UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7A OUT OF THE FUND DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-2016

S.No./ Appl. No.	Sanction order No. & Date	Name of Organization/Activity supported	Amount Sanctioned (Rs.)	Amount Released (Rs.)
1/74	S.O. No. 21 Dt 25.02.2016	Institute for Narcotics Studies and Analysis, New Delhi to tackle the problems of cannabis in the Himachal Pradesh	5,00,000/-in two installment	4,00,000/- (1 st installment)
2/78	S.O. No. 22 Dt. 18.03.2016	Narcotics Control Bureau, New Delhi for identification and destruction of illicit poppy cultivation for the crop year 2015-16	39,86,950/-	39,86,950/-
Total Fund released during the year -----Rs. 43,86,950/--				

B. STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NFCDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01 – GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE YEAR 2015-16 RECEIPT AND DISBURSEMENT

Year	Opening Balance	Receipts				Total Receipts	Disbursement	Closing balance
		[Central Government Budget Provision]	[The Sale Proceeds of any property forfeited under Chapter VA]	[Any grants made by person or instituted]	[Any income from investment of the amounts credited to the Fund under the aforesaid provisions]			
		MH:2070-Other Admn. Services; MnH:797-Transfer to Reserve/Deposit Account; SH:01-Transfer to the National Fund for Control of Drug Abuse; OH: 63-Inter-Account transfer.	MH: 0070-Other Admn. Services;SMH: 60-Other Services MnH:800-Other Receipt; New Sub Head: 07-Receipts from fines in lieu of forfeiture of property under Section 68 K of the Act.	MH: 8121-General and other Reserve Funds; MnH: 118-National Fund for Control of Drug Abuse; New Sub Head: 02-Receipts from grants by any person or institution.	MH: 8121-General and other Reserve Funds; MnH:118-Interest on the National Fund for Control of Drug Abuse; New Sub-Head: 03-Receipts from interest payment by the Govt. of India.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (3+4+5+6)	(8)	(9) (2+7+8)
2015-16	193679944/-	0	35539422/-	0	1,52,81,348/-	5,08,20,770/-	43,86,950/-	24,01,13,764/-

[F. No. N-21014/01/2014-NC-I]

T. K. SATPATHY, Under Secy.